राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम गणेशराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/03/2026	622/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 02/04/2026 को पेश हो।	
02/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खं.नं. 468/2 रकबा 06 बिस्वा, खं.नं. 468/3 रकबा 01 बिस्वा, खं. नं. 468/4 रकबा 07 बिस्वा, खं.नं. 468/5 रकबा 13 बिस्वा, खं.नं. 1468/6 रकबा 09 बिस्वा खं.नं. 46887 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खं.नं. 468/8 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खं.नं. 469/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, कुल किता 08 कुल रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पहाडिया, तह. माधोराजपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगा. 16 वरवक्त जागीरी से ही काबिज काश्त होकर एक मात्र तन्हा खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त होकर सरकारी लगान जमा कराते आ रहें है। उक्त आराजी वरवक्त जागीरी ठाकुर नाथू सिंह वल्द सबलासिंह, जाति राजपूत के नाम रही लेकिन खुदकाश्त कृषक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगा. 16 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता कल्याण वल्द ईसरा के नाम चली आ रही है एवं वरवक्त सेटलमेन्ट पर्चा संख्या 2011 से पूर्व कल्याण वल्द ईसरा के नाम कृ षक होने से एवं खुद काश्त होने से पर्चा सही जारी किया गया उक्त भूमि को मन्दिर लक्ष्मीनारायण जरिये पुजारी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है नही वर्तमान में है उक्त आराजी पर वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत् 2011 पूर्व से ही पूर्वज कल्याण एवं उसके पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिनके सजरा खानदान अनुसार उक्त आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण कानूनन खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त आराजी का जागीरी वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत् 2011 से पूर्व ही कल्याण पुत्र ईसरा के नाम खुद काश्त होने व कब्जा काश्त होने जारी किया गया। उक्त आराजी भूमि मन्दिर की खुद काश्त भूमि नही थी। उक्त आराजीयात कल्याण पुत्र ईसरा के नाम की खातेदारी भूमि है कल्याण के देहान्त के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत पहाडिया नामान्तकरण संख्या 802 दिनांक 03. 07.1982 को विधिवत् जाँच कर खोला गया उक्त आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम गणेशराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/2/2025		

02 लगा. 16 के पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है। उक्त आराजीयात पर वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट जागीरी से पूर्व ही काबिज सत्य प्रतिलिपि काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजीयात पर कभी भी किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिये वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगा. 16 के पिता व वादी संख्या 01 व 02 के पिता स्व. कल्याण पुत्र ईसरा की खातेदारी भूमि रही है। वरवक्त जागीरी एवं पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व से उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजी का पर्चा कल्याण पुत्र ईसरा के नाम असीसटेन्ट सेटलमेन्ट ऑफीसर महरमा बन्दोबस्त सीकर डिवीजन मुख्यालय जयपुर दिनांक 05.11.1954 को उक्त आराजी पर खुदकाश्त होने से सही जारी किया गया। उक्त आराजी मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी की खुदकाश्त की भूमि नही रही है। उक्त आराजीयात बाबत् नानगराम ब्राह्मण द्वारा सहायक कलेक्टर सांभरलेक के समक्ष प्रार्थना पत्र विवादित भूमि पर पुनः स्थापन बाबत् प्रस्तुत किया। उक्त आदेश दिनांक 26.05.1955 राजस्व अपील एडिसनल कमिश्नर जयपुर के समक्ष वाद संख्या 48 पेश की जो मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 13. 03.1956 को अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर सांभर का निर्णय दिनांक 26.05.1955 निरस्त कर दिया गया माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान जयपुर ने वाद संख्या 59 जयपुर 1957 रिविजन प्रार्थना पत्र बउनवानी ईसरा पुत्र चौना एवं कल्याण पुत्र ईसरा बनाम नानगराम में आदेश दिनांक 21.08.1957 में रिविजन स्वीकार कर सहायक कलेक्टर सांभर का निर्णय दिनांक 26.05.1955 निरस्त कर दिया एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.1957 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगा. 16 के पिता दादा कल्याण पुत्र ईसरा को खातेदार काश्तकार माना है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता कल्याण की खुदकाश्त की खातेदारी भूमि रही है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी की कानूनन खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने व दुरूस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता स्व. कल्याण का जागीरी के समय से ही वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट पर्चा खतौनी संख्या 2011 से 2030 खाता संख्या 265 कालम संख्या 05 में खुदकाश्त कृषक होने से सही जारी किया गया है। उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है उक्त भूमि मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी की खुदकीरत भूमि कभी भी नही रही है। उक्त भूमि वादीगण की खुदकाश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम गणेशराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	622/2025	

व जिला खातेदारी भूमि है जिसकी घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारीगण है। उक्त आराजी का कल्याण की विरासत का नामान्करण संख्या 802 दिनांक 03.07. 1982 को वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगा. 16 के पिता के नाम खुल गया। जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 खेवट खतौनी संख्या 482 में कालम संख्या 04 में खातेदार काश्तकार म्होरीलाल, पूरणचन्द, मंगलराम पुत्र कल्याण, जाति कुमावत (कुम्हार), सा. देह के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2056 लगा. 2059 खतौनी संख्या 391 कालम संख्या 04 में खातेदार काश्तकार का नाम दर्ज है कालम संख्या 17 में कार्यालय जयपुर कलेक्टर आदेश क्रमांक 91837-53 दिनांक 01.01.1992 से पुजारी का नाम हटाने के आदेश प्राप्त हुए है लेकिन तथाकथित आदेश जयपुर कलेक्टर के आदेश पुजारी के नाम हटाने बाबत् हुए है पुजारी का अंकन नही हटाया जाकर अवैधानिक तरीके बिना विधिवत् प्रक्रिया व विधि के नियमों से परे जाकर खातेदारों के नाम हटाये गये है जो सरासर गलत है यह नोट बिना किसी विधिवत् नामान्तकरण के बिलकुल अवैध व अनियमित तरीके से लगाया गया जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी के कल्याण पुत्र ईसरा के देहान्त के पश्चात् वारिसान म्होरीलाल, पूरणचन्द, मंगलाराम, गणेशनारायण, दयालराम पुत्र कल्याण खातेदार काश्तकार रहे एवं उक्त आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन राजकीय कार काननों द्वारा बिना विधिवत जाँच किये ही व बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये ही बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाये ही ग्राम पहाडिया की जमाबन्दी सम्वत 2056 2059 के खाता सख्या 391 में सामने कार्यालय कलेक्टर जयपुर के तथाकथित आदेश क्रमांक राजस्व 91/37/53 दिनांक 01.01.1992 का नोट अवैध व अनियमित तरीके से कर दिया जो सरासर गलत है। यह नोट बिना किसी नामान्तकरण के बिलकुल अवैध व अनियमित तरीके से लगाया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। जमाबन्दी के खाता संख्या 391 के सम्मुख अंकित नोट अवैधानिक है जिसको हटाया जाकर खातेदारो का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित है। जबकि पुजारी के नाम हटाने के आदेश प्राप्त हुऐ का हवाला देकर उक्त आराजी से खातेदारों का अंकन गलत हटा दिया है जो वादीगण के हितों व कानूनन प्रावधानों के विपरीत होने से प्रभाव शून्य है। जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 खाता संख्या 391 में सम्मुख आदेश कलेक्टर जयपुर के द्वारा बिना विधिवत प्रक्रिया के लगाया गया आदेश है। जिसका कोई नामान्तकरण नही खोला गया है उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही रही है बल्कि वरवक्त जागीरी से

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम गणेशराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	622/2025	

ही पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व से ही कल्याण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि रही है। उक्त आराजी वरवक्त पूर्व में ही विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में खातेदार कल्याण की खुदकाश्त व खातेदारी की भूमि माना है। इसलिये उपरोक्त माननीय निर्णयों के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त आराजी के नाम राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 03 एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगा. 16 के पिता एवं वादी संख्या 01 व 102 के नाम चली आ रही है लेकिन गलती से उक्त खातेदारी भूमि को मंदिर की खुदकाश्त भूमि मानते हुए तथाकथित आदेशानुसार जयपुर कलेक्टर केध्आदेश क्रमांक 91/37/53 दिनांक 01.01.1992 को खातेदारों का नाम हज कर दिया जो उन अवैधानिक व सरासर गलत है उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही है बल्कि जागीरी के समय से ही सेटलमेन्ट के पूर्व से ही कल्याण पुत्र ईसरा की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि का गलत तरीके से खातेदारों का इन्द्राज हटाते हुये मंदिर लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज गलत कर दी गई जिसकी जानकारी वरवक्त वादी संख्या 03 को अपने पिताजी की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने बाबत् राजस्व रिकार्ड की श्नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उक्त आराजी मंदिर लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज हो गई उक्त निर्णयों व राजस्व रिकार्ड की नकले निकालकर अपने अधिवक्ता से राय लेकर वादीगण ने उक्त वाद बिना किसी देरी के मान्य न्यायालय में विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 एवं पटवारी हल्का ने दिनांक 15.08.2015 को कहा कि उक्त आराजी मंदिर लक्ष्मीनारायण के नाम लगा दी है इसलिये हम तुम्हे कब्जे काश्त से बेदखल करेंगे एवं कानूनी कार्यवाही की जावेगी अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादीगण को असहनीय हानि होगी एवं व्यर्थ मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।। वादीगण / प्रार्थीगण है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस अमर कि फरमायी जावे कि वाद पत्र के मद नं. 01 में वर्णित आराजी के वादी संख्या 01 व 02 का 1/5-1/5 हिस्सा एवं वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 लगा. 06 का 15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 लगा. 12 का 15 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 13 लगा. 16 का 16 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर दुरूस्ती इस आशय की फरमायी जावें कि जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 के

खाता संख्या 391 के सम्मुख अंकित आदेश जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक दिनांक 01.01.1992 को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगा. 16 के नाम अंकन किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई । प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार माधोराजपुरा ने जवाब दावा पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया गया | प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 14 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया | प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार माधोराजपुरा ने अपने जवाब दावा में अंकित किया कि विवादित खसरा नम्बर 468/2, 468/3, 468/4. 468/5, 468276, 468/7, 468/8, 469/1 कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि हाल जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2068 ग्राम पहाडिया के अनुसार मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त भूमि पर मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी काबिज काश्त है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र के कथन एवं जवाब दावा के आधार पर वाद पत्र में तनकीयात कायम कर तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 28/01/2016 पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/2016 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01/05/2025 को करीबन 09 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गयी एवं इतनी लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रधारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में दिन-प्रतिदिन की देरी को स्पष्ट अंकन किया जाना अपीलार्थी के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही तथ्य अंकित कर एवं दौराने बहस भी इतनी लम्बी समयावधि की देरी को कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस आधार/तर्क नही दिया गया है, जिससे की वह 09 वर्ष की देरी को कन्डोन करवाने हेतु क़ानूनी अधिकारी प्रकट होते हो | ऐसी स्थिति में मियाद का लाभ अपीलार्थी को प्रदान किया जाना नही समझा जाता है गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम गणेशराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिससे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का विस्तृत विश्लेषण/विवेचन करते हुये प्रश्नगत भूमि का बरवक्त जागीर एवं बरवक्त पर्चा सेटलमेंट सम्वत 2011 के पूर्व से ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 16 के पूर्वज ईसरा पुत्र चैना व कल्याण पुत्र ईसरा का कब्जा काश्त व खातेदारी में दर्ज होना तथा कल्याण पुत्र ईसरा कौम कुम्हार के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण सख्या 0802 दिनांक 04/07/1982 मोहरीलाल, पूरणचन्द, मंगलाराम, गणेशराम, दयालराम पुत्र कल्याण कौम कुम्हार के नाम दर्ज होकर कब्जे काश्त में रहना स्पष्ट होने एवं पहाड़िया की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2030 एवं उसके पश्चात बनी जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2056-2059 तक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 16 के पिता की खातेदारी में दर्ज रहना जाहिर होने एवं विवादित आराजीयात खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2030 जागीर रीजमसन एवं तत्पश्चात बनी जमाबन्दी में कभी भी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी. सा. देह की खुदकाश्त दर्ज नही होना धारित कर तनकीयात संख्या 1 लगा. 3/वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध तय की है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष तनकीयात को भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो का विवेचन करते हुये सही रूप से तय किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायसंगत एवं विधिसम्मत प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/01/2016 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 02/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |